कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.)

नरसिंह भवन, नरसिंहपुर 487001, फोन नं.-07792-230900, फैक्स नं.-07792-230915

E-mail:- dmnarsinghpur@nic.in, website:- www.narsinghpur.nic.in

पत्र क्र./ 8124 /सां.लि./ 2020 नरसिंहपुर दिनांक- 31/07/202

//संशोधित आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

नरसिंहपुर जिले में कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण के मामलें निरन्तर बढ़ रहें है। जिले के आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति आगामी दिनों में त्यौहारों के कारण अधिक भीड़, व्यापक आवाजाही एवं अत्यधिक आपसी सम्पर्क होने की सम्भावना के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने की आशंका के दृष्टिगत इस संबंध में पूर्व में पारित आदेश क्रमांक/7730/सॉ0लि0/2020 नरसिंहपुर दिनांक 23/07/2020 की कण्डिका 1 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है :-

1. सम्पूर्ण जिले में दिनांक 01/08/2020(शनिवार) एवं दिनांक 02/08/2020(रविवार) को पूर्व से घोषित लॉकडाउन के अतिरिक्त दिनांक 03/08/2020(सोमवार) एवं 04/08/2020(मंगलवार) को भी पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इन उक्त चार दिनों में अत्यावश्यक सेवाओं, मेडिकल सुविधाओं एवं मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों के संचालन संबंधी गतिविधियां को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। दूध डेयरी(मिल्क बुथ) डोर टू डोर दूध विक्रय करने वाले दूध विक्रेता / पेपर हॉकर सुबह 07:00 बजे से 10:00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें।
2. पूर्व आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।
3. सम्पूर्ण जिले में घोषित लॉकडाउन आदेश एवं कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु इस कार्यालय/शासन से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उपरोक्त सभी अधिकारी नियमित रूप से संयुक्त भ्रमण कर इस आदेश का क्रियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करावे।
4. चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थतियां हैं कि जन सामान्य को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है, को व्यक्तिश: सूचना सम्यक रूप से तामील किया जाना सम्भव नहीं है। अत: मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
6. उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

31/7/2020

(वेद प्रकाश)
जिला दण्डाधिकारी,
नरसिंहपुर

पृ.क्रं./ 8125/सां.लि./ 2020, नरसिंहपुर, दिनांक- 31 /07/2020

प्रतिलिपि:-

1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग,सी-अनुभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2) आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3) पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4) जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
5) पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों/ थाना प्रभारियों को आदेश की प्रति प्रेषित कर पालन कराएं जाने हेतु अग्रेषित ।
6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ ।
7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8) जिला परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9) जिला परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
10) लीड बैंक मेनेजर नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11) अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर/गोटेगांव/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12) तहसीलदार/अति.तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (सर्व) जिला-नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
13) मुख्य नगर पालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व की ओर आदेश का मुनादी /माइक से विस्तत प्रचार प्रसार हेतु अग्रेषित ।
14) जिला जनसंपर्क अधिकारी नरसिंहपुर की ओर तत्काल जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
15) सर्व जिला प्रमुखों .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

31/7/20

जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर